


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 2—अनुभाग 1क

PART II—Section 1A

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8

No. 8

नई दिल्ली, पुरुषोत्तमवार, 29 नवम्बर, 1979/3 अग्रहायण, 1901 (शक)
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 29, 1979/AGRAHAYANA 8, 1901 (SAKA)

पृष्ठ XV

Vol. XV

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1979/3 अग्रहायण, 1901 (शक)

(1) विस्थापित व्यक्ति (श्रम समायोजन) अधिनियम 1951; (2) भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 1974; (3) राष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 1976; (4) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976; (5) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम, 1977; (6) कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978; (7) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1978 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अर्थान उनके हिन्दी में प्रकाशित पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, November 29, 1979/Agrahayana 8, 1901 (Saka)

The translations in Hindi of the following, namely:—

- (1) The Displaced Persons (Debts Adjustment) Act, 1951;
- (2) The Indian Telegraph (Amendment) Act, 1974;
- (3) The President's Pension (Amendment) Act, 1976;
- (4) The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976;
- (5) The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1977;
- (6) The Taxation Laws (Amendment) Act, 1978;
- (7) The Representation of the People (Amendment) Ordinance, 1978; are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (18 of 1963):—

The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1977; (6) The Taxation Laws (Amendment) Act, 1978; (7) The Representation of the People (Amendment) Ordinance, 1978; are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (18 of 1963):—

Attested

3-9-18
Asst. Controller (Business)
Govt. of India

भाग 9—मध्य प्रदेश

1. भोवतिया
2. बागरी, बागड़ी
3. बड़ना, बाहना
4. बलाही, बलाई
5. बांछडा
6. बरहर, बसोड
7. बरगुन्डा
8. बसौर, बुरुड़, बांसौर, बांसोडी,
बांसफोड़, बसार
9. बेड़िया
10. बेलदार, सुनकर
11. भंगी, मेहतर, बालमीक, लालबेगी,
घरकार
12. भानुमती
13. चहार
14. चमारी, चमारी, बेरवा, भांवी,
जाटव, भोची, रंगड, नोना,
रोहिदास, रामनामी, सतनामी,
सूर्यवंशी, सूर्यरामनामी, अहिरवार,
चमार मंगन, रंदास
15. चिदार
16. चिकवा, चिकवी
17. चित्तार
18. दहाइत, दहायत, दहाल
19. देवर
20. घानुक
21. घेड, घेड़
22. घांवी, (भोपाल, रायसेन और
सिहोर जिलों में)
23. डोहौर
24. डोम, डुमार, डोमे, डोमर,
डोरिस
25. गांडा, गांठी
26. घासी, घसिया
27. होलिया
28. कंजर
29. कातिया, पयरिया
30. खटीक
31. कोली, कोरी
32. कोतवाल (भिड, धार, देवास,
गुना, खालियर, इन्दौर,
झाबुआ, खरणोन, मन्दतौर,
मुरैना, राजगढ़, रतलाम,
शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन
और विदिशा जिलों में)
33. खगार, कनेरा, गिरघा
34. कुचबंधिया
35. कुम्हार (छतरपुर, दतिया,
पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल,
साँधी और टिकमगढ़ जिलों
में)
36. महार, मेहरा, मेहर
37. मांग, मांग गारोडी, मांग गाहडी,
दंखनी मांग, मांग महाशी,
मदारी, गाहडी, राधे मांग

38. पंचवाल

39. भोघिया
40. मुसखान
41. नट, कालवेलिया, सपेरा,
नवदिगार, कुवुतर
42. पारधी (भिड, धार, देवास,
गुना, खालियर, इन्दौर,
झाबुआ, खरणोन, मन्दतौर,
मुरैना, राजगढ़, रतलाम,
शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन
और विदिशा जिलों में)
43. पासो
44. रज्जर
45. सांसी, सांसिया
46. सिलावट
47. समराल

भाग 10—महाराष्ट्र

1. गमेर
2. अनामूक
3. अरारे गाजा
4. आखागाळा
5. बहना, बाहना
6. बारुड, बंट
7. बलाही, बलाई
8. बसौर, बुरुड़, बांसौर, बांसोडी
9. बेडा अंयम, बुरगा अंयम
10. बेहर

Accepted

3-9-15
Asst. Controller (Business)